जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / प्रशा / स्था / 2018 / 1103

दिनांक 26/12/18

// अधिसूचना //

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार, कार्यालयीन आदेश क्रमांक एफ / प्रशा / स्था / 2018 / 1044 दिनांक 06.12.2018 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहनने संबंधी एक आदेश जारी किया गया था। जिसके तहत् समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिदिन वर्दी पहनकर आना आवश्यक है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि, विश्वविद्यालय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी पहनकर कार्यालय में नहीं आ रहे। बिश्वविद्यालय द्वारा उन्हें वर्दी प्रदान की गई है; लेकिन उक्त आदेश का पालन आज भी कई कर्मचारी नहीं कर रहें हैं। जबकि वर्दी धुलाई भत्ता रू0 50 प्रतिमाह प्राप्त कर रहे है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों / समन्वयकों / निदेशकों / अधिकारियों को सूचित किया जाता हैं कि, आपके विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि वर्दी पहनकर कार्यालय में नहीं आते हैं; तो उनकी जानकारी प्रशासन विभाग में भेजने का कष्ट करें। जिससे उनपर जुर्माना रू0 100/— प्रतिदिन उनके वेतन से काटने की कार्यवाही की जा सकें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्यक / निदेशक / अधिकारी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर इस आशय के साथ कि वर्दी पहनकर कार्यालय न आने वाले कर्मचारी की सूचना तत्काल प्रशासन विभाग की ओर भेजें।
2. उप / सहायक कुलसचिव (प्रशासन / गोपनीय / परीक्षा / लेखा / विकास / अकादमी) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

E:/Brijesh/karandikar Letter